न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 49 GCMS:- 2020/00146 दायर दिनांक : 06.03.2020

गोविन्द सिंह पुत्र श्री अखे सिंह जाति राजपूत निवासी करडू तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. 1955

उपस्थित:

1. श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ प्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 09/10/2020

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा यह वाद पत्र घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. 1955 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ वादी के नाम से रोही करडू तहसील सूरतगढ़ में खाता सं. 355 नई 343 पुरानी जमाबंदी सम्वत् 2068 ता 71 के ख.न. 477 की 11.407 है. बारानी दोयम खातेदारी कृषि भूमि में 403 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि है। इसके साथ साथ यह भी उल्लेख किया कि जमाबंदी के खाना सं. 4 में मुझ वादी का नाम गोविन्दराम पुत्र श्री अखे सिंह अंकित है जबकि मुझ वादी का वास्तविक नाम गोविन्द सिंह पुत्र श्री अखे सिंह है। साथ ही निवेदन किया कि उक्त भूमि तीन अलग अलग बैयनामांजात् दिनांक 26.04.1989 के द्वारा सजना बेवाह हीरजी, मदन सिंह पुत्र श्री हीरजी व गुलाब पुत्री हीरजी अकवाम पुरोहित निवासीयान करडू से कृषि भूमि खरीद की है, इन तमाम दस्तावेज बैयनामां में वादी का सही नाम गोविन्द सिंह पुत्र श्री अखे सिंह अंकित है, जबकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के खाना सं. 4 में वादी का नाम गोविन्द राम अंकित कर दिया गया है। मुझ वादी का नाम आधार कार्ड सं. 2125–2662–2118 में भी गोविन्द सिंह पुत्र श्री अखे सिंह दर्ज है, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी परिचय पत्र संख्या BDL/3024544 में गोविन्द सिंह पुत्र श्री अखे सिंह दर्ज है, उक्त तमाम दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह भी अंकित किया है कि वह उक्त भूमि की बाबत के.सी.सी. बनवाने हेतू बैंक गया तो उन्होनें रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात बताया कि पहले रिकॉर्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाओ उक्त त्रुटि को सुधारने के लिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के समक्ष माह फरवरी 2020 में गया तो उन्होनें भी कहा कि हम सुधार नहीं कर सकते सक्षम न्यायालय में चाराजोई करो वा आदेश हमें लाकर दो तो कोई कार्यवाही हम कर सकते है

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

क्रमशः पेज 2 पर.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:22:30 IST
Reason: SelfAttested

इससे व्यथित होकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है वा निवेदन किया कि वादी का नाम गोविन्द राम पुत्र श्री अखे सिंह के स्थान पर गोविन्द सिंह पुत्र श्री अखे सिंह अंकित करने के आदेश फरमावें ताकि वादी को के.सी.सी. बनाने मुख्यमंत्री योजना, प्रधान मंत्री कोष से मिलने वाला अनुदान में दिक्कत आ रही है व बाधा दूर होकर वादी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। अंत में निवेदन किया कि गोविन्द राम पुत्र श्री अखे सिंह के स्थान पर गोविन्द सिंह पुत्र श्री अखे सिंह वाके रोही करडू की जमाबंदी सम्वत् 2068 ता 71 में दुरूस्त करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के पश्चात प्रतिवादी तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को जरिये नोटिस तलब किया नोटिस तामील होने के पश्चात व व्यक्तिगत तामील होने के बाद भी अदालत में उपस्थित नहीं हुये वा ना ही जवाबदावा पेश किया, दिनांक 29.09.2020 को वादी व गवाह द्वारा शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिस्ल किया गया।

वादी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वा वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज पर अवलोकन करने पर जोर दिया वा निवेदन किया की वास्तविकता से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता वादी का प्रथम दृष्टया मामला रिकॉर्ड दस्तावेज से बखूबी साबित है कि वादी का नाम गोविन्द सिंह पुत्र श्री अखे सिंह राजपूत दर्ज होना चाहिये किसी कारणवश यह त्रुटि हो गयी है तो उसे दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है। वादी एक काश्तकार होने के कारण उसे मिलने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का हकदार हो जायेगा अलग नाम होने से रिकॉर्ड में अनावश्यक परेशानी से भी बच सकेगा। राज्य पक्ष की ओर से नायब तहसीलदार द्वारा भी यह स्वीकार किया कि अभिलेख में त्रुटि है जो दुरूस्त की जानी जरूरी है राज्य पक्ष को ध्यान में रखते हुये निर्णय पारित किया जावें तो हमें कोई एतराज नहीं है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता वा नायब तहसीलदार राज पैरोकार सूरतगढ़ की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली वा तमाम दस्तावेजात् का भी गहनता से अवलोकन किया। वकील वादी द्वारा उठाये गये वाद बिन्दुओं वा दस्तावेज का मिलान करने पर पाया कि वादी का राजस्व रिकॉर्ड में भिन्न नाम अंकित है जिससे उसे अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड रहा है ऐसे तथ्यों का जैसे ही तहसीलदार के संज्ञान में आये तो वह अपने स्तर पर भी दुरूस्त करने की कोशिश करनी चाहिये अन्यथा इस न्यायालय को प्रेषित किये जाने पर तुरंत समाधान हो सकता है वा काश्तकार वर्ग को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकता है। उक्त तमाम तथ्यों वा दस्तावेजात् का अवलोकन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वाद वादी स्वीकार करते हुये वाके रोही करडू की जमाबंदी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 355 नया 343 पुरानी के खाना सं. 4 में गोविन्द सिंह पुत्र श्री अखे सिंह राजपूत नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो, हुक्म मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:22:30 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

गोविन्द सिंह पुत्र श्री अखे सिंह जाति राजपूत निवासी करडू तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. 1955 मुकदमा न. 49 वर्ष 2020 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील वादी श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वाके रोही करडू की जमाबंदी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं. 355 नया 343 पुराना के खाना सं. 4 में गोविन्द सिंह पुत्र श्री अखे सिंह राजपूत नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगें।

नोज.....×..... मुबलिग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा .....×..... इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×..... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 09/10/20 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:22:30 IST
Reason: SelfAttested